

भाग-III
हरियाणा सरकार
गृह विभाग
अधिसूचना

दिनांक 9 मार्च, 2018

संख्या का०आ०14/ह०अ०25/2008/घा०92/2018.— हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम 25), की धारा 92 की उप धारा (1) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा पुलिस (अराजपत्रित तथा अन्य पद) सेवा नियम, 2017 को आगे सशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा पुलिस (अराजपत्रित तथा अन्य पद) सेवा (संशोधन) नियम, 2018 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा पुलिस (अराजपत्रित तथा अन्य पद) सेवा नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“5(क) ऊपरी आयु सीमा में छूट.— हरियाणा पुलिस में न्यूनतम तीन वर्ष की निरंतर सेवा रखने वाले सभी विभागीय उम्मीदवारों को उप निरीक्षक के पद पर भर्ती के लिए सामान्य प्रवर्ग उम्मीदवारों के लिए तीस वर्ष तथा पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए पैंतीस वर्ष तक ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।”।

3. उक्त नियम में परिशिष्ट ख में— (i) क्रम संख्या 2 के सामने, खाना 3 के नीचे, विद्यमान मद (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

“(iii) न्यूनतम लम्बाई तथा छाती माप

	ऊंचाई	छाती
पुरुष	170 सेंटीमीटर सामान्य श्रेणी	83 सेंटीमीटर न्यूनतम बिना विस्तारित के बाद 04 सेंटीमीटर (न्यूनतम) विस्तार के साथ
	विज्ञापन/शुद्धिपत्र के समय लागू नवीनतम सरकारी आरक्षण नीति के अनुसार 168 सेंटीमीटर पात्र आरक्षित श्रेणियों के लिए जैसी भी स्थिति हो।	81 सेंटीमीटर न्यूनतम बिना विस्तारित के बाद (04 सेंटीमीटर न्यूनतम विस्तार के साथ) विज्ञापन के समय लागू नवीनतम सरकारी आरक्षण नीति के अनुसार पात्र आरक्षित श्रेणियों के लिए जैसी भी स्थिति हो।
महिला	158 सेंटीमीटर सामान्य श्रेणी	शून्य
	विज्ञापन/शुद्धिपत्र के समय लागू नवीनतम सरकारी आरक्षण नीति के अनुसार 156 सेंटीमीटर पात्र आरक्षित श्रेणियों के लिए जैसी भी स्थिति हो।	शून्य
टिप्पणी: —1. शारीरिक मापन परीक्षा केवल अर्हक स्वरूप का होगा।		
टिप्पणी: —2. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा द्वारा केवल कारणों को अभिलिखित करने के बाद उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक मानकों में उचित छूट प्रदान की जा सकती है यदि आवेदन खेल कोटा प्रवर्ग के अधीन भर्ती के लिए किया गया है; तथा		

- (ii) परिशिष्ट ख में क्रम संख्या 5 के सामने खाना वर्णित टिप्पणी—II का लोप कर दिया जाएगा।

डॉ० एस० एस० प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग, चण्डीगढ़।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT**HOME DEPARTMENT****Notification**

The 9th March, 2018

No. S.O. 14/H.A. 25/2008/S.92/2018.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with sub-section (1) of section 92 of Haryana Police Act, 2007 (25 of 2008), the Governor of Haryana hereby amends the Haryana Police (Non Gazetted and Other Ranks) Service Rules, 2017 as follows, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Police (Non Gazetted and Other Ranks) Service (Amendment) Rules, 2018.

2. In the Haryana Police (Non Gazetted and Other Ranks) Service Rules, 2017(hereinafter called the said rules), after rule 5, the following rule shall be inserted namely:-

“5A. Relaxation of upper age limit.- The upper age limit for recruitment in the rank of Sub-Inspector to all departmental candidates in Haryana Police with a minimum 03 years of continuous service shall be 30 years for General Category candidates and 35years for Backward Class candidates and Scheduled Castes candidates.”.

3. In the said Rules, 2017.— (i) In Appendix –B, against Serial no. 2, under column 3, for existing entries at item (iii), the following item shall be substituted, namely:-

“(iii) Minimum height and chest measurement

	Height	Chest
Male	170 Centimeter General Category	83 Centimeter un-expanded minimum with expansion of 04 centimeter (minimum) onwards.
	168 Centimeter for eligible reserve categories as per latest Government Reservation Policy applicable at the time of advertisement/corrigendum as the case may be.	81 Centimeter un-expanded minimum with expansion of 04 centimeter (minimum) onwards for eligible reserve categories as per latest Government Reservation Policy applicable at the time of advertisement/corrigendum as the case may be.
Female	158 Centimeter General Category	NIL
	156 Centimeter for eligible reserve categories as per latest Government Reservation Policy applicable at the time of advertisement/corrigendum as the case may be.	NIL

Note: - 1. Physical Measurement Test shall be of qualifying nature only.

Note:- 2. The suitable relaxation in minimum physical standards may be granted by the Director General of Police for recruitment of outstanding sports persons after recording reasons in writing only if the application is made for recruitment under sports quota category.

(ii) In Appendix B, the Note II under Sr. No. 5 shall be omitted.

DR. S. S. PRASAD,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.